उत्तर मध्य रेलवे में ट्रैक मशीन के निर्माता/आपूर्तिकर्ता के मूल पुर्जे (स्पेयर) के बदले किसी ब्रांड के कल पुर्जे स्पेयर पार्ट (नए ब्रांड) के अनुमोदन हेतु नीति (01.03.2012 से लागू) निम्नानुसार है :

1. ट्रैक मशीन हेतु विभिन्न पुर्जों को विकसित करने का कार्य निम्नानुसार किया जा सकेगा -

   (i) सक्षम प्राधिकारी अर्थात मुख्य इंजीनियर/टीएमसी के निर्णय के अनुसार, अथवा

   (ii) नि:शुल्क विकसित करने हेतु फर्म के प्रस्ताव पर।

2. सभी तकनीकी विवरण, प्रत्याशित लाइफ तथा मशीन के (मूल निर्माता) के मूल कल पुर्जे की तुलना में विशिष्टियों का तुलनात्मक चार्ट सहित उस ब्रांड के ट्रायल परीक्षण का अनुरोध मुख्य इंजीनियर/टीएमसी के कार्यालय में स्वीकार किया जाएगा। किसी खास कल पुर्जे की पूरी लाइफ के दौरान उचित गुणवत्ता एवं सेवा सुनिश्चित करने हेतु केवल मूल उपकरण **निर्माता/मूल उपकरण निर्माता के प्राधिकृत डीलर से प्राप्त अनुरोध पर** ही विचार किया जाएगा। इस स्तर पर उप-डीलर के प्रस्ताव पर कदापि विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्राप्त आवेदनों की जाँच उप मुख्य इंजीनियर/टीएमसी/मुख्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा (आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन) के अंदर की जाएगी। यदि फर्म से कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित हो तो इस दौरान मांगी जा सकती है। फर्म को इसका उत्तर देने के लिए 60 दिन का समय दिया जाना चाहिए। आवेदन पत्र और ऐसे उत्तरों पर सम्यक विचार करने के बाद मुख्य इंजीनियर/टीएमसी दी गई सूचना के आधार पर यह निर्णय लेंगे कि जिस ब्रांड के लिए फर्म ने अनुरोध किया है उसे ट्रायल हेतु स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। यदि आवेदन पत्र और प्रस्तुत किए गए विवरण संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं और आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो फर्म को कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी और उसे दूर करने हेतु समय (अधिकतम 3 माह) दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय के अंदर फर्म पूर्ण अनुपालन प्रस्तुत करती है तब मुख्य इंजीनियर/टीएमसी की अनुमति से उस मामले की समीक्षा की जाएगी। यदि फर्म उक्त अवधि के अंदर पूर्ण अनुपालन नहीं प्रस्तुत करती है तब फर्म को प्रधान कार्यालय में नए सिरे से आवेदन करना होगा। यदि किसी खास मद के स्पेयर की तकनीकी उपयुक्तता के समर्थन में फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात एवं दस्तावेज प्रथम दृष्टया पर्याप्त पाए जाते हैं तब उप मुख्य इंजीनियर/ टीएमसी/मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणी पर मुख्य इंजीनियर/टीएमसी का अनुमोदन प्राप्त कर विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तथा सुझाव हेतु इस मामले को तीन उप मुख्य इंजीनियरों की समिति के पास भेज दिया जाएगा।

4. निम्नलिखित अधिकारी तीन उप मुख्य इंजीनियरों की समिति के सदस्य होंगे-

(क) उप मुख्य इंजीनियर/टीएमसी/मुख्यालय (सहयोजक)

(ख) उप मुख्य इंजीनियर/सीपीओएच, तथा

(ग) उप मुख्य इंजीनियर/टीएमसी/लाइन/झांसी

5. मुख्य इंजीनियर/टीएमसी का अनुमोदन प्राप्त करने और विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद तीन उप मुख्य इंजीनियरों की समिति, प्रस्ताव की जाँच करेगी तथा उत्तर मध्य रेलवे की संबंधित ट्रैक मशीन पर उस पुर्जे के प्रस्तावित ब्रांड के **ट्रायल परीक्षण के अनुमोदन** हेतु ट्रायल अवधि, आवश्यक दिशा-निर्देश तथा सुझाव के साथ तकनीकी रिपोर्ट मुख्य इंजीनियर/टीएमसी के पास प्रस्तुत करेगी। तथापि इस प्रक्रिया के दौरान समिति द्वारा फर्म से कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है और फर्म, समिति द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 45 दिन) के अंदर देने के लिए बाध्य होगी।

6. ट्रायल परीक्षण हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद फर्म अपने खर्चे पर पुर्जे की आपूर्ति करेगी। पुर्जे की ट्रायल एवं परीक्षण अवधि के दौरान उस पुर्जे को हुई किसी क्षति के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। ट्रायल के समय उस पुर्जे की खराबी के कारण यदि मशीन या उसके आस-पास के किसी भाग को कोई क्षति होती है तब फर्म द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में मुख्य इंजीनियर/टीएमसी का निर्णय अंतिम होगा। तथापि मुख्य इंजीनियर/टीएमसी ट्रायल हेतु उस पुर्जे को खरीदने के अनुदेश दे सकते हैं। **ट्रायल हेतु न्यूनतम मात्रा** तीन से कम नहीं होनी चाहिए, तथापि ट्रायल हेतु न्यूनतम मात्रा का निर्णय समिति द्वारा पुर्जे की प्रकृति और लागत के आधार पर किया जाएगा। **ट्रायल अवधि** परीक्षणाधीन ब्रांड की मूल उपकरण निर्माता कंपनी द्वारा दी गई न्यूनतम वारंटी अवधि अथवा औपचारिक अनुमोदन में अनुमोदित अवधि के अनुसार होगी। किंतु किसी मामले में न्यूनतम ट्रायल अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी।

7. फर्म का अनुरोध प्राप्त होने तथा विनिर्दिष्ट ट्रायल अवधि के दौरान उस पुर्जे के सफल कार्य निष्पादन के पश्चात तीन उप मुख्य इंजीनियरों की समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्य इंजीनियर/टीएमसी द्वारा **विकासात्मक आदेश हेतु** अनुमोदन दिया जाएगा। पुर्जे की जटिलता के आधार पर विकासात्मक आदेश के प्रतिशत को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

8. फर्म का अनुरोध प्राप्त होने तथा उत्तर मध्य रेलवे के विकासात्मक आदेश पर आपूर्ति किए गए पुर्जे के एक वर्ष की अवधि तक अथवा पुर्जे की वारंटी अवधि तक जो भी अधिक हो (कार्य निष्पादन निगरानी अवधि) (सेवा में वास्तविक कार्य निष्पादन न कि उस पुर्जे की आपूर्ति की तारीख से) सफल कार्य निष्पादन के पश्चात ही थोक आदेश हेतु अनुमोदन दिया जाएगा। पुर्जे के प्रकार, इसके एप्लीकेशन, दर

इत्यादि के आधार पर तीन उप मुख्य इंजीनियरों की समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकासात्मक आदेश के अधीन कार्य निष्पादन निगरानी हेतु न्यूनतम मात्रा पर निर्णय लिया जाएगा। तथापि इस मामले में न्यूनतम मात्रा 5 से अधिक होनी चाहिए।

9. विनिर्दिष्ट अवधि (विकासात्मक आदेश हेतु ब्रांड अनुमोदन के लिए पैरा-6 के अनुसार ट्रायल अवधि तथा थोक आदेश हेतु ब्रांड अनुमोदन के लिए पैरा-8 के अनुसार कार्य निष्पादन निगरानी अवधि) के अंदर परीक्षणाधीन उस पुर्जे की खराबी के कारण मशीन बंद रहने की अवधि, विनिर्दिष्ट अवधि के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ट्रायल अवधि/कार्य निष्पादन निगरानी अवधि के दौरान प्रत्येक सैंपल की खराबी की संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी एक भी पुर्जे द्वारा उपर्युक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में थोक आदेश हेतु अनुमोदन नहीं दिया जाएगा और औपचारिक लिखित अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद फर्म को नए सिरे से आवेदन करना होगा। निगरानी अवधि के दौरान खराबी के संबंध में मुख्य इंजीनियर/टीएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

10. उपर्युक्त (पैरा-8) का अनुपालन न होने की दशा में, ब्रांड का अनुमोदन नहीं किया जाएगा और यहाँ तक कि विकासात्मक आदेश हेतु भी उसे अस्वीकार किया जा सकता है। तथापि इस मामले में अनुमोदन, अस्वीकार करने, किसी भी कोटि में अनुमोदित ब्रांड की सूची से हटाने अथवा विकासात्मक कोटि में ब्रांड की अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उत्तर मध्य रेलवे के पास सुरक्षित रहेगा और मुख्य इंजीनियर/टीएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

11. **ब्रांड के अनुमोदन हेतु केवल मूल उपकरण निर्माता/प्राधिकृत डीलर के प्रस्ताव पर ही विचार किया जाएगा।** तथापि सभी मामलों में क्रय आदेश की राशि के बराबर की राशि वारंटी बांड के रूप में उस अवधि के लिए ली जाएगी जो यथा स्थिति पैरा-6 के अनुसार ट्रायल अवधि अथवा पैरा-8 के अनुसार कार्य निष्पादन निगरानी अवधि से कम न हो।

12. यदि उक्त ब्रांड का उपयोग किसी अन्य रेलवे में हो रहा हो तब उपयोगकर्ता रेलवे की कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर, मूल उपकरण निर्माता/प्राधिकृत डीलर के प्रस्ताव पर **पैरा-6 के अनुसार न्यूनतम ट्रायल अवधि के लिए** केवल विकासात्मक आदेश हेतु विचार किया जा सकता है। ऐसे मामले में तीन उप मुख्य इंजीनियरों की समिति, सभी तथ्यों और **पैरा-6 के अनुसार न्यूनतम ट्रायल अवधि के लिए** संबंधित उपयोगकर्ता रेलवे की उस पुर्जे की कार्य निष्पादन रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए विकासात्मक आदेश हेतु उस ब्रांड के अनुमोदन हेतु अपनी रिपोर्ट मुख्य इंजीनियर/टीएमसी को प्रस्तुत करेगी। तथापि इस मामले में कोई ट्रायल नहीं किया जाएगा, किंतु ब्रांड का अनुमोदन केवल विकासात्मक आदेश के लिए ही किया जाएगा।

थोक आदेश के लिए ब्रांड के अनुमोदन हेतु उपर्युक्त पैराग्राफों में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

13. यदि नीचे दी गई स्थितियों में से कोई एक या अधिक पाया जाता है तब कमियों की प्रकृति एवं गंभीरता तथा उत्पाद की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव, मशीन के कार्य निष्पादन इत्यादि पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर अनुमोदित ब्रांड को हटाया जा सकता है।

(क) फर्म द्वारा (ब्रांड के अनुमोदन के समय) दी गई सूचना गलत पाई जाती है।

(ख) उक्त पुर्जे की खराबी के कारण मशीन के ब्रेकडाउन को सुधारने के प्रति अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाना (वारंटी के दौरान आपूर्तिकर्ता को फैक्स/एसएमएस/ मेल/फोन इत्यादि से सूचना दिए जाने की तारीख से मशीन के ब्रेक डाउन की कुल अवधि, वारंटी अवधि के 5% से अधिक समय तक नहीं होनी चाहिए)।

(ग) कोई अन्य ऐसी दशा जिससे मशीन के उत्पादन गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(घ) भारत सरकार अथवा उसके किसी कार्यालय द्वारा विक्रेता को काली सूची में डाला गया हो/अथवा उसके साथ व्यावसायिक कार्य प्रतिबंधित किया गया हो।

14. यदि कोई फर्म किसी खास पुर्जे के किसी ब्रांड के लिए पहले से अनुमोदित है और वह उस ब्रांड के किसी अन्य कल पुर्जे की आपूर्ति करना चाहती है तब इसे नया मामला माना जाएगा और इस मामले में भी वही प्रक्रिया लागू होगी जो नए ब्रांड के अनुमोदन हेतु प्रक्रिया लागू होती है।

15. सभी मामलों में उत्तर मध्य रेलवे में उस पुर्जे के खराब कार्य निष्पादन के आधार पर किसी स्तर पर किसी भी मेक के अनुमोदन को निरस्त करने का अधिकार रेलवे के सक्षम प्राधिकारी अर्थात मुख्य इंजीनियर/टीएमसी के पास सुरक्षित है।

दिनांक 29.02.2012

संख्या : 69-पी/डिप्टी सीई/टीएमसी/एचक्यू/पालिसी